Indian J. Soc & Pol. 03(02): 2016: 73-76 **ISSN 2348-0084 (P)**
ISSN 2455-2127 (O)

महिलाओं का सशक्तिकरण और डॉ0 अम्बेडकर

संदीप कुमार आदित्य[1]
[1]शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय,लखनऊ, उ0प्र0 ,भारत

ABSTRACT

महिलाओं को पुरूषों के समान स्वतंत्र व आत्मनिर्भर बनाने, उन पर हो रहे अन्याय को कम करने का कार्य प्राचीन समय से ही संघर्षपूर्ण रहा है, लेकिन ये संघर्ष सामाजिक सुधार के रूप में महात्मा बुद्ध के समय से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है उन्होंने स्त्री–पुरुष में किसी भी प्रकार की असमानता को खारिज करते हुए अपने संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया। इसी प्रयास में उन्होंने वेदों की पवित्रता पर प्रश्न चिह्न लगा कर स्त्री और पुरूष की बराबरी की वकालत की। बुद्ध की इसी स्त्री सुधार की परम्परा को आगे बढ़ाते हुए महात्मा ज्योतिबा फुले ने स्कूल खोलकर महिलाओं को शिक्षित करने का संघर्षपूर्ण कार्य किया तो बाद में पेरियार ई0वी0 रामास्वामी ने महिलाओं के आत्म सम्मान और उनके अधिकारों की वकालत की। राजाराम मोहन राय और ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने भी सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाकर स्त्री को स्वतंत्र और परम्परागत रूढ़ियों से छुटकारा दिलाने का प्रयास किया। इन समस्त स्त्री स्वतंत्रता के उपासकों की परम्परा में बीसवीं सदी में एक नया नाम डॉ0 अम्बेडकर का आता है जिन्हें स्त्री स्वंतत्रता की दशा में सुधार का सबसे बड़ा पैरोकार माना जाता है। उन्होंने न केवल स्त्रियों को स्वतंत्र बनाने, अधिकार दिलाने की दिशा में प्रयास किया बल्कि उन पर हो रहे समस्त अत्याचारों व शोषण के विरूद्ध आवाज उठाई और उन्हें विभिन्न प्रयासों के माध्यम से दूर किया। उन्होंने सालों पुरानी कई हिन्दू पितृसत्तात्मक व्यवस्था से स्त्रियों के दासता पूर्ण जीवन से मुक्ति दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

KEYWORDS : *डॉ अम्बेडकर, नारी, महिला सशक्तिकरण, भारतीय संविधान*

डॉ अम्बेडकर का मानना था कि दलितों के साथ महिलायें भी चर्तुवर्णीय धर्मशास्त्र की शिकार रही हैं। स्मृति और शास्त्र ग्रंथ लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं। इसलिए शास्त्रों की पवित्रता को खारिज करते हुए पुरूषों और स्त्रियों को इनकी बाध्यताओं से निजात दिलानी होगी।

मनु से पहले महिलाओं की स्थिति

डॉ0 अम्बेडकर ने वेदों की पवित्रता और मनुस्मृति का विरोध करने से पहले उन्होंने महिलाओं की स्थिति का व्यापक अध्ययन किया उन्होंने महाबोधि जर्नल 1952 के अंक में अपने लेख हिन्दू महिलाओं की उत्थान और पतन शीर्षक में कहा कि मनु ही हिन्दू महिलाओं की स्थिति में गिरावट के जिम्मेदार थे। मनु के पहले महिलाओं की स्थिति का वर्णन करते हुए डॉ0 अम्बेडकर कहते हैं कि महिलाओं की शासन में भागीदारी थी। उनका आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक स्तर समाज में उच्च था। उनका उपनयन संस्कार होता था श्रोतसूत्र से स्पष्ट है कि महिलाएं वेद मंत्रों का उच्चारण कर सकती थीं। अष्टाध्याय से स्पष्ट है कि महिलाएं गुरूकुल में शिक्षा लेती थीं। महिलायें शिक्षिका होती थीं और छात्राओं को वेदों की शिक्षा देती थीं। महिलायें धर्म, दर्शन आदि विषयों में पुरूषों से शास्त्रार्थ करती थीं। (वर्ल्ड फोकस,दिसं 2013)

डॉ0 अम्बेडकर ने महिला और प्रतिक्रान्ति नाम के एक अन्य लेख में कहा है कि कौटिल्य के समय में भी महिलाओं की स्थिति अच्छी थी उन्हें अपनी इच्छानुसार विवाह करने का अधिकार था एक पत्नी के पक्षधर स्वयं कौटिल्य थे। महिलायें तलाक का दावा भी कर सकती थीं।

कुल मिलाकर कह सकते है कि मनु से पहले महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक व आदरणीय थी उनका सामाजिक और बौद्धिक स्तर उच्च था वे अधिकार सम्पन्न व स्वतंत्र थीं। लेकिन मनु के समय महिलाओं की स्थिति में गिरावट आयी। डॉ0 अम्बेडकर का मानना था कि मनु ने अपनी मनुस्मृति में महिलाओं के सतत दासता के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया।(अम्बेडकर,1999,पृ12.17) महिलाओं की स्थिति बंधुआ मजदूरों की तरह हो गई। उन्हें पुरूषों के हाथ की कठपुतली माना जाने लगा। उनकी स्वतंत्रता अब समाप्त हो गई। उनको घर की चाहरदीवारी के अन्दर कैद कर दिया गया। पुरूष उन्हें सम्पत्ति समझ कर बेच सकते थे। उनके वेद आदि ग्रंथों के पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। डॉ0 अम्बेडकर का मानना था कि वेदकाल के आखिरी दिनों में तो महिलाओं की शूद्रों की तरह बहुत खराब स्थिति हो गई थी।

डॉ0 अम्बेडकर के महिलाओं के सशक्तिकरण के विभिन्न प्रयास

सामाजिक सुधार के माध्यम से डॉ0 अम्बेडकर महिलाओं की स्थिति के लिए मुख्य रूपसे हिन्दू धर्म और उसकी रूढ़िवादी सामाजिक मान्यताओं को दोषी मानते थे। उनका मानना था कि उस वर्ण आधारित सामाजिक संरचना में महिलाओं का स्थान निम्न

1: Corresponding Author

था। जाति पर लिखे अपने लेख भारत में जाति उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास में ही उन्होंने महिलाओं के प्रति अपनी चिंता जाहिर की थी। 1920 में प्रकाशित अपने साप्ताहिक समाचार पत्र मूकनायक के माध्यम से उन्होंने समाज की कुरीतियों को उजागर किया और उन्होंने समाज के निचले और उत्पीड़ित तबकों के लिए सामाजिक, आर्थिक ओर राजनीतिक अधिकारों की गारंटी की मांग की। 1924 में अपने बहिष्कृत भारत नामक पत्र के माध्यम से समाज के उत्पीड़ित तबकों के शैक्षिक और सांस्कृतिक जागरूकता फैलाना चाहते थे वे अपने संघर्षों मे न केवल महिलाओं को हिस्सेदार बनाते थे बल्कि उन्हें हमेशा आगे रखते थे। उनके महान सत्याग्रह में पांच सौ से ज्यादा महिलाएं शामिल थीं। 1924 में नागपुर में महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए अम्बेडकर ने कहा था कि वो महिलाओं के संगठन में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर महिलाओं को समझ में आ जाए तो वो क्या कुछ नही कर सकती है। सामाजिक बुराइयों को खत्म करने में वो महिलाओं की भूमिका को अहम् मानते थे। यही कारण था कि जब से उन्होंने उत्पीड़ित तबकों के मध्य काम करना शुरू किया, उन्होने महिलाओं को पुरूषों के साथ बराबरी पर रखने में खास जोर दिया।

नारी शिक्षा और स्वतंत्रता के माध्यम से–डॉ अम्बेडकर ने प्रारंभ से ही नारी शिक्षा और स्वतंत्रता की पुरजोर वकालत की थी वे नारी सम्मान और नारी अस्मिता के सशक्त पक्षक्षर थे नारियों की सही दिशा में उन्नति और प्रगति हो, यह उनका मुख्य उद्देश्य था। स्त्रियों के प्रति डॉ अम्बेडकर ने यह विचार इनके अपने आदर्श महात्मा बुद्ध, फुले, कबीर आदि से उत्पन्न हुआ। इस विचारधारा को आगे बढ़ाने में उनकी इंग्लैण्ड, जर्मनी और अमेरिका की यात्रा ने भरपूर सहयोग दिया। स्त्री–पुरूष समानता की कल्पना वे इन्हीं देशों से लेकर आए। विद्यार्थी जीवन में अमेरिका प्रवास के दौरान बाबासाहेब ने अपने सहकारी जाधब पोपडकर को पत्र लिखा था कि ''मां बाप बच्चें को जन्म देते है कर्म नही, यह कहना गलत है बच्चें के, मन का मां–बाप ही आकार देते हैं। लड़कों के साथ लड़कियों को भी शिक्षा दी जाय तो अपनी प्रति जोरदार होंगी।

डॉ0 अम्बेडकर ने स्त्री–शिक्षा का प्रारंभ अपने ही घर से किया उन्होंने अपनी अनपढ़ पत्नी रमाबाई को सतत प्रोत्साहित कर पढ़ना लिखना सिखाया। 25 दिसम्बर, 1927 का दिन भारतीय इतिहास का एक अविस्मरणीय दिन बन गया जब परिवर्तनकारी अम्बेडकर ने अन्याय और शोषण को जन्म देने वाली मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाया। उस दिन से नारियों के पैरों में यही बेड़िया ढीली पड़ने लगी। 12 अक्टूबर 1929 को पुणे के पार्वती मंदिर में दलित स्त्रियों के प्रवेश हेतु आंदोलन किया जिसमें उनके साथ नानाबाई कांबले ने हजारों महिलाओं के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1931 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत अछूत को पृथक मतदान देने के अधिकार दिलाने हेतु उन्होंने अपनी आवाज बुंलद की 1932 में पूना पैक्ट में अछूत स्त्री पुरूष को संसद, विधान सभा एवं नौकरियों में आरक्षण दिलाने हेतु अथक प्रयास किया। समाज में नर और नारी की समान सहभागिता को अनिवार्य मानते हुए उन्होंने कहा कि मै समाज की उन्नति का अनुमान इस बात लगाता हूँ कि उस समाज में महिलाओं की कितनी प्रगति हुई है नारी की उन्नति के बिना समाज एवं राष्ट्र की उन्नति असंभव है।

परिवार निर्माण एवं समाज निर्माण में नारी की अहम भूमिका को स्वीकारते हुए वे उन्होंने कहा था– नारी शिक्षा पुरूष शिक्षा से भी अधिक आवश्यक है। वह राष्ट्र के भावी निर्माताओं का निर्माण करने की महती भूमिका निभाती है। किन्तु मनु जैसे स्मृतिकारों ने नारी को मूक पशु की तरह रखने के लिए उन्हें शिक्षा से वंचित रखने की राष्ट्रवादी नीति अपनाई।

नारी प्रगति को समाज की प्रगति का मापदण्ड मानने वाले बाबा साहेब ने एक राष्ट्र महिला सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि ''नारी राष्ट्र की निर्मात्री है राष्ट्र का हर नागरिक इसकी गोद में पलता है नारी की जागृत किए बिना राष्ट्र का विकास असंभव है''। उन्होंने नारी को शिक्षित करने और राष्ट्रीय उन्नति में भागीदारी बनाने का आहवान किया। डॉ0 अम्बेडकर ने मिलिंद कॉलेज, औरंगाबाद को माली हालत ठीक न होते हुए भी मात्र चार सवर्ण छात्राओं के लिए उसे खुलवाया। 20 जुलाई 1928 को बंबई विधान परिषद में कामकाजी महिलाओं को प्रसूति अवकाश देने के बिल पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा ''महिलाओं को प्रसूति अवकाश प्रदान करना राष्ट्रीय हित में एक महत्वपूर्ण काम है राष्ट्र की निर्मात्री को प्रसूतावस्था में विश्राम देने और उसे सुनिश्चित करने का दायित्व सरकार का है। अम्बेडकर के इन विचारों से संपूर्ण सदन प्रभावित हुआ और यह विधेयक सर्वसम्मति से पास हुआ।'' (गुरू 2002)

नारी मुक्ति के वाहक डॉ0 अम्बेडकर ने स्वंतत्रता समानता और स्वाभिमान से जीवन जीने की शिक्षा देते हुए दो मूलमंत्र दिये जिनमें प्रथम है–शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो दूसरा है आत्मदीपो भव अर्थात् अपना दीपक स्वयं बनो। इन्ही दो मूल मंत्रों में नारी मुक्ति की सारी बाते निहित है। उन्होंने भारतीय नारी में चेतना जगाने और उनको मानवाधिकार दिलाने के लिए आजीवन संघर्ष किया। भारतीय समाज में स्वंतत्रता प्राप्ति के आस–पास भी हिन्दू स्त्रियों की दुर्दशा शूद्रों जैसी ही थी। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए हिन्दू धर्म में कोई विधि विधान नही था वे संपति के अधिकार से भी वंचित थी। डॉ अम्बेडकर ने इनके उद्धार व चौमुखी विकास के लिए वैधानिक अधिकार दिलाने के उद्देश्य से स्वंतत्र भारत ने पहले विधिमंत्री के रूप में हिन्दू कोड बिल का प्रारूप बनाया। उसमें स्त्रियों को संपति में समान अधिकार, विधवाओं को पुर्नविवाह अधिकार महिलाओं को भी तलाक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, बहुपत्नी विवाह का अन्त

आदि मुख्य प्रस्ताव थे। परन्तु कुछ कट्टरपंथियों के कारण यह बिल संसद में पास न हो सका। इससे डॉ0 अम्बेडकर को गहरा आघात लगा और उन्होंने विधिमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि डॉ0 अम्बेडकर संपूर्ण नारी जाति के प्रति कितने समर्पित थे।

नारी अधिकार और संविधान–

भारत के इतिहास में नारी मुक्ति के लिए वह ऐतिहासिक दिन था जब विधि के प्रकांड विद्वान और महान विधिवेत्ता बाबासाहेब को संविधान निर्माण के प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। भारत के महान सपूत, भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी बाबासाहेब सामाजिक न्याय के प्रबल पक्षधर थे उन्होंने समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता के आधार पर समाज का निर्माण कर आधुनिक भारत के सपने को साकार करने के लिए देश के संसदीय लोकतंत्र को अपनाया और सभी वर्गों के स्त्री–पुरूष को समान रूप से मत देने का अधिकार सुनिश्चित किया, जो नारियों को राजनीतिक स्वंतत्रता के लिए महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए बहुत से प्रावधान संविधान में सुनिश्चित किए। भारतीय संविधान में महिलाओं को प्रदत्त विभिन्न अधिकारों व अधिनियमों का यहां संक्षेप में उल्लेख किया जाना आवश्यक है–

अनु0 14– विधि के समक्ष समता– राज्य, भारत के राज्यतंत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नही करेगा।

इसके द्वारा स्त्री एवं पुरूष के लैंगिक भेदभाव को समाप्त कर विधि द्वारा समता सुनिश्चित की गई है।

अनु0 15– धर्म, मूलबंध, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों में विभेद का प्रतिबंध।

1. राज्य, किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलबंध, जाति लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नही करेगा।

2. इस अनु0 की कोई बात राज्य को स्त्रियों एवं बालकों के लिए कोई विषेष उपबंध करने से निवारित नही करेगी।

संविधान का अनु0 15 दो रूपों में विशेष महत्व रखता है प्रथम यह है कि नागरिकों में लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नही किया जाएगा और सभी को समान अवसर सुलभ होंगे। द्वितीय कि महिलाओं के विकास के लिए विशेष प्रावधान है। इसके अंतर्गत महिलाओं के लिए आरक्षण का विशेष प्रावधान है। इसके अंतर्गत महिलाओं के लिए सेवाओं एवं राजनीति में आरक्षण, महिला आयोग,महिला सशक्तीकरण आदि का प्रावधान करने की अनुमति दी गई है। अनु0 16–लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता– भारत के सभी नागरिकों के लिए बिना लिंग आदि के भेदभाव किये समान रूप से अवसर की समानता सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है।

1. राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।

2. राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में कोई नागरिक केवल धर्म, मूलबंध, जाति, लिंग, उद्भव जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र नही होगा न इससे भेदभाव किया जायेगा।

समता के अधिकार द्वारा बाबासाहेब महिलाओं को अपने पैरों द्वारा खड़ा होते देखना चाहते थे। उनका मत था कि ''सामाजिक क्रान्ति एवं परिवर्तन में स्त्रियों को पुरूषों का सहयोगी बनाना चाहिए। समाज के आधे अंग को जागृत किए बिना सामाजिक क्रान्ति असंभव है। सामाजिक पुर्नजागरण, नारी स्वतंत्रता एवं उनके विकास से ही संभव होगा।

अनु0 23– यह मानव के दुर्व्यापार और बलातश्रम का प्रतिषेध करता है अनैतिक उद्देश्यों के लिए स्त्रियों और बच्चों के क्रय विक्रय को अपराध बनाकर समाज का कलंक नारी–व्यापार को समाप्त किया गया। स्त्री और लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956 के द्वारा इस कलंक को अपराध घोषित कर नारी को दैहिक शोषण से मुक्त करने का प्रयास है।

अनु0 39– के द्वारा पुरूष और स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने के अधिकार दिया गया है इससे समाज में इस मिथ्यात्मक एवं भ्रमात्मक धारणा को, कि पुरूषों की तुलना में महिला कार्यक्षमता एवं प्रबंधन की दृष्टि से ही होती है अतः उन्हें कम पारिश्रमिक मिलना चाहिए, निर्मूल बनाया गया है साथ ही साथ यह अनुच्छेद पुरूषों एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है एवं पुरूष एवं नारी कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं शक्ति को अनुरक्षित करने की अपेक्षा करता है।

अनु0 42–के द्वारा कार्यरत महिलाओं को प्रसूति से कुछ समय पूर्व और बाद में स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रसूति सुविधा प्रदान किया गया है।

अनु0 44– द्वारा नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्रदान कर विशेषकर मुस्लिम एवं हिन्दू महिलाओं को उनके वैयक्तिक, धार्मिक, कानूनों से सरंक्षण प्रदान करने का प्रयास किया गया है जिससे अत्याचारी तलाक, संपति उत्तराधिकारी में भेदभाव आदि से उन्हें बचाया जा सके।

अनु0 51–क– के द्वारा यह सभी नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य के रूप में रखा गया है कि वे ऐसी प्रथाओं का त्याग करें। जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हैं। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि इसके द्वारा महिलाओं को संविधान द्वारा प्रदत्त सभी अधिकारों

एवं संरक्षणों को वास्तविक रूप से सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है जिससे महिलाओं को कलंकित करनेवाली सती प्रथा, दहेज प्रथा, वैश्यावृत्ति आदि को रोका जा सके।

संविधान के अनु0 25– 326 के अनुसार देश मे लोकतांत्रिक व्यवस्था के अधीन स्त्री व पुरूष समान रूप से वयस्क मताधिकार के अनुसार लोकसभा एवं राज्य की विधान सभाओं और ग्राम पंचायतों व नगर निगमों में न केवल भाग लेने का अधिकार बल्कि समान रूप से उम्मीदवार बनकर राजनीतिक एवं सामाजिक मामलों में सक्रिय रूप से भूमिका को भी सुनिश्चित किया गया है। इस प्रकार समाज रूपी गाड़ी के दो पहिये स्त्री व पुरूष समाज के विकास में समान रूप से अपनी भूमिका का निवेदन कर सकेंगे ओर इस रूप में हमारे संविधान निर्माताओं का नारी स्वतंत्रता एवं वर्तमान रूप में नारी सशक्तिकरण का सपना पूरा होगा यह सब परिवर्तन डॉ0 अम्बेडकर के स्वतंत्रता और समानता के विचारधारा से ही संभव हो सका है। अतः महिलाओं को भी आगे आना होगा। और नारियों के प्रति ऐसी घटनाएं जो किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक हैं का विरोध करते हुए उसका सशक्त प्रतिकार के साथ सामना करना होगा। महिलाओं की अस्मिता और मर्यादा पर होने वाले हम लोगों , वे चाहें जैसे भी हों चुपचाप सह लेने की प्रवृत्ति छोड़कर विरोध करना होगा।

यहां पर महिला बिल आरक्षण का उल्लेख करना विषय के संदर्भ में उचित होगा यह एक विडम्बना ही है कि महिला आरक्षण बिल पिछले कई वर्षों से संसद में विचाराधीन पड़ा हुआ है। आरक्षण की वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाओं एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मान्य सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए मेरा विचार है कि महिलाओं का आरक्षण सामान्य, अन्य पिछड़े वर्गों, अनु0जाति/अनु0जनजाति के संवर्गों में समान्तर आरक्षण की व्यवस्था मान्य कर देना चाहिए। ऐसा करने में किसी भी प्रकार की संवैधानिक अड़चने नहीं आयेंगीं। जिससे संसद का बहुमूल्य समय केवल इसके पक्ष एवं विपक्ष के तर्कों में बीत जाएगा और महिला आरक्षण बिल बना रहेगा। महिला आरक्षण बिल में अमली जामा पहनाना नारी स्वतंत्रता एवं नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर होगा।

निष्कर्ष

इस प्रकार हम कह सकते है कि भारत की संपूर्ण स्त्री जाति को विचारशक्ति, विवकेशक्ति, चिंतनशक्ति बाबासाहेब ने दी। उन्होंने भारत के मूक नारी समाज को वाणी दी। उसके अतर्मन में सूर्य का अलौकिक प्रकाश जगा दिया, जिससे भारतीय नारी को सोई हुई अस्मिता जाग उठी और संपूर्ण नारी समाज के लिए प्रेरणा का कार्य किया नारी मुक्ति का यह प्रबल आंदोलन था। इस आंदोलन से नारियों ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनानी प्रारंभ की है। आज स्त्रियॉ प्रधानमंत्री पद से लेकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रशासनिक, सैन्य, राजनीति आदि अन्य क्षेत्रों में अपनी सशक्त भूमिका निभा रही हैं। अब निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारत का भविष्य महिलाओं के लिए,महिलाओं द्वारा और महिलाओं का होगा।

सन्दर्भ

कश्यप, सुभाष : आवर कान्स्टीच्यूशन : एन इन्टोडक्शन टू इण्डियाज कान्स्टीच्यूशन एण्ड कान्स्टीच्यूशनल लॉ, नई दिल्ली, नेशनल बुक ट्रस्ट,

कान्स्टीच्यूशनल डिवेट्स, 31 अगस्त 1948, वाल्यू 04 नं0 1 पार्ट 11

डॉ बी0 आर0 अम्बेडकर एण्ड सोशल जस्टिस, *वर्ल्ड फोकस* :वाल्यू 21 दिसं 2013

जफरलाट क्रिस्टोफर (2005) : *डॉ अम्बेडकर एण्ड अनटचेविलिटी, एनालाइजिंग एण्ड फाइटिंग कास्ट*, नई दिल्ली

अम्बेडकर, बी0 आर0(1999): *राइज एण्ड फाल आफ दी हिन्दू ओमेन*, नई दिल्ली, बाईयूमून बुक्स,

गुरू, गोपाल (2002) : *अम्बेडकर्स आइडिया आफ सोशल जस्टिस*, इन घनश्याम शाह संपा0 *दलित एण्ड दी स्टेट*, नई दिल्ली, कान्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी,